

प्रति,

नरेन्द्र  
s/o श्री सुकलाल  
ग्राम-रमतला, पो-बाबली  
जिला-मुंगेली (दुमका)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण।

---000---

महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं चयन समिति की अनुशंसा पर आपको **अंग्रेजी** विषय में निम्न शर्तों के अनुसार अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आप अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 30.03.21 तक महाविद्यालय में उपस्थित होंगे। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह आमंत्रण स्वमेय निरस्त माना जावेगा।

11. यह आमंत्रण अध्यापन व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। यह माह फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक के अन्त तक या स्थानान्तरण अथवा नियमित सहायक प्राध्यापक के कार्यभार ग्रहण करते ही स्वमेय समाप्त हो जावेगा।
12. यह आमंत्रण उक्त व्याख्यान के लिए प्रति व्याख्यान शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी। प्रति व्याख्यान 40 से 50 मिनट के बीच का होगा।
13. यह आमंत्रण भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और ना ही वे अधिमानिक बर्ताव के हकदार होंगे।
14. आप महाविद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन को ध्यान में रख कर कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
15. एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें किसी न्यायालय में अपराधिक प्रकरण लंबित न होने, किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्था में कार्यरत नहीं होने व एक साथ किसी दो महाविद्यालय में अध्यापन नहीं करने का उल्लेख हो।

  
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय रामचन्द्रपुर  
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

7. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़।
8. लेखा शाखा रामचन्द्रपुर।
9. जिला कोषालय बलरामपुर-रामानुजगंज छत्तीसगढ़।

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय रामचन्द्रपुर  
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)